

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक / स्टोर / 2015 | ७१८

दिनांक 29.9.15

अधिसूचना


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर में केन्द्रीयकृत भंडार व्यवस्था लागू है विश्वविद्यालय वित्त संहिता के नियमानुसार विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अध्ययनशालाओं/संस्थानों आदि में क्रय की जाने वाली सामग्री/उपकरण की क्रय संबंधी कार्यवाही भंडार शाखा द्वारा की जाती है। अधिसूचित किया जाता है कि क्रय संबंधी समस्त प्रस्ताव भंडार शाखा की ओर प्रेषित किये जावें। भंडार शाखा द्वारा ही समस्त क्रय संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

नोट:- विभागों/अध्ययनशालाओं द्वारा आवश्यकतानुसार टेन्डर प्रकाशित कराये जाते हैं प्राप्त टेन्डरों पर आगामी कार्यवाही भंडार विभाग द्वारा की जाती है। कृपया सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि टेन्डरों की प्राप्ति हेतु ड्रॉप बॉक्स निर्धारित तिथि से पूर्व भंडार विभाग में बनवा लिया जावें।


उप-कुलसचिव (स्टोर)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/पी.आई./वार्डन आदि जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. सहा.कुलसचिव, (स्टोर)/अधीक्षक स्टोर कृपया सूनिश्चित करें कि उक्त अधिसूचना अनुसार कार्यवाही सम्पादित हो।
3. श्री संजय भरतरिया की ओर प्रेषित कि वे अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।


उप-कुलसचिव (स्टोर)